रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-221

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 96] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 25, 1974/वैशाख 5, 1896

No. 96] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 25, 1974/VAISAKHA 5, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

2 MAY 1974

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel and Admn. Reforms)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 24th April 1974

G.S.R. 185(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule (1), and the first proviso to sub-rule (2), of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Maharashtra, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Sixth Amendment Regulation, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, under the Heading "Maharashtra" for the entries 'Deputy Commissioners of Divisions" and "Private Secretary to Chief Minister", the entries 'Additional Commissioners" and 'Secretary to Chief Minister" shall respectively be substituted.

[No. 33/10/71-AIS(II)-A]

मंत्रिमंडल सचिवालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली 24 अप्रैल, 1974

सा० का० नि० 185(अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग) नियम, 1954 के नियम 4 के उप नियम (2) के प्रथम परन्तुक और उक्त नियम (1) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) छटा संशोधन विनियम, 1974 है ।

(2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियम 1955 की अनुसूची में "महाराष्ट्र" शीर्षक के अधीन "प्रमण्डलों के उप आयुक्त "तथा "मुख्य मंत्री के निजी सचिव" प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः "अपर आयुक्त "तथा मुख्य मंत्री के सचिव " प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ।

[सं० 33(10)/71-अ० भा० से० (II)-(क).]

G.S.R. 186(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Maharashtra, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Fifth Amendment Rules, 1974.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Schedule III, appended to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, under the heading "B-Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying special pay in addition to pay in the time scale", for the entries 'Deputy Commissioners of Divisions" and "Private Secretary to Chief Minister" against Maharashtra, the entries "Additional Commissioners" and "Secretary to Chief Minister" shall respectively be substituted.

[No. 33/10/71-AIS(II)-B]

S. P. MUKERJI, Jt. Secy.

सा० का० नि० 186 (अ).—भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 के नियम 11 के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र सरकार

के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम 1964 में और आगे संशोधन के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1974 है ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इन के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1964 के साथ संलग्न अनुसूची में "स —राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा के वरिष्ठ के वेतन वेतनमान वाले पद जिन में समय वेतन मान के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पद भी शामिल हैं" शीर्षक के अन्तर्गत, महाराष्ट्र के सामने "प्रमण्डलों के उप आयुक्त" तथा "मुख्य मंत्री के निजी सचिव" प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः "अपर आयुक्त" तथा "मुख्य मंत्री के सचिव" प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी ।

[सं० 33/10/71-अ० भा० से० (II)-ब)]

शंकर प्रसादमुखर्जी, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974